उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

सूचना–पत्र

क्रमांक C/2131 लेखा/2019 जबलपुर, 04-05-2019.

निर्देशानुसार समस्त शासकीय सेवकों को सूचित किया जाता है कि शासन के आदेशानुसार दिनांक 01.04.2019 से सभी शासकीय सेवकों के यात्रा भत्ता देयकों की स्वीकृतियाँ IFMIS System के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से ही स्वीकृत की जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

यात्रा भत्ता देयक प्रस्तुत करने हेतु संबंधित शासकीय सेवक अपने IFMIS Login से HRMIS HOME में **Employee Self Service (ESS) > Reimbursement > Travel Reimbursement** के अंतर्गत अपनी पूरी यात्रा का विधिवत विवरण दर्ज कर सबमिट करने के पश्चात Forward करें जो कि यात्रा भत्ता की निर्धारित जॉच प्रकिया अनुसार वेरीफायर के द्वारा वेरीफाई तथा डीडीओ के द्वारा अनुमोदित/स्वीकृति प्रदान की जायेगी। उसके पश्चात ही यात्रा भत्ता दावा भुगतान हेतु कोषालय भेजा जा सकेगा। अतएव ऐसे शासकीय सेवक (प्रथम श्रेणी/द्वितीय श्रेणी/तृतीय श्रेणी आदि) जो कि यात्रा भत्ता का दावा प्रस्तुत कर रहें हैं, भौतिक रूप से अपना दावा यात्रा भत्ता सहायक के पास प्रस्तुत करने के साथ ही अपने IFMIS Login से उपरोक्तानुसार Online Claim भी प्रस्तुत करें। तभी यात्रा भत्ता देयक का भुगतान संभव हो सकेगा। केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के यात्रा भत्ता दावे को On-behalf विधि से कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा जिसके लिए संबंधित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपना IFMIS Login/Password एवं अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सहायक यात्रा भत्ता से संपर्क कर सकता है।

(डॉं आर०के० मिश्रा)
ओ०एस०डी० (लेखा)

पृष्ठांकन क्रमांक C/2132/लेखा जबलपुर, दिनांक 04-05-2019.

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के प्रमुख निजी सचिव की ओर सूचनार्थ।
2. रजिस्ट्रार (प्रशासन/पी०पी०एस०) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
3. संचालक, राज्य न्यायिक अकादमी, निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण भवन, जबलपुर।
4. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर।
5. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, जबलपुर संभाग, जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि उच्च न्यायालय जबलपुर के शासकीय सेवकों को IFMIS System में यात्रा भत्ता देयक प्रस्तुतीकरण के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कराने की व्यवस्था करावें।
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर।
7. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर।
8. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय जबलपुर की ओर IFMIS System में आवश्यक प्रशिक्षण में सहयोग करने बाबत्।
9. श्री/श्रीमती/कु०/सुश्री-----------------------------अनुभाग अधिकारी/ इंचार्ज, उच्च न्यायालय म०प्र०, जबलपुर।
10. प्रोटोकॉल अधिकारी, उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर
11. श्री द्वारका प्रसाद नापित, हार्डवेयर टेक्नीशयन, उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर की ओर शासकीय सेवकों के IFMIS Login/Password संधारण संबंधी आवश्यक सहायता हेतु।
12. प्रभारी सर्वर रूम, उच्च न्यायालय म०प्र० जबलपुर की ओर, उक्त सूचना पत्र उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(व्ही०एन० बाजपेयी)